

प्रतिलिपि:—आदेश, आदेश पत्रिका में जो कि न्यायालय माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर द्वारा **सी.आर.आर.क्रमांक—21/2017 धारा 397 दं.प्र.सं.** के संदर्भ में आज दिनांक 11.11.2017 को पारित किया गया, जिसके पक्षकार निम्नानुसार है :—

रविदास आयु 21 वर्ष पिता गोपाल दास गायकवाड़
निवासी—वार्ड नंबर 9 डुडगांव छपारा थाना परसवाड़ा तहसील बैहर
जिला बालाघाट (म0प्र0) **पुनरीक्षणकर्ता**

// **विरुद्ध** //

म0प्र0 राज्य द्वारा:— आरक्षी केन्द्र—पुलिस थाना बैहर
तहसील बैहर जिला—बालाघाट **उत्तरवादी**

—0—

!! आदेश दिनांक 11/11/2017 की प्रतिलिपि !!

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री डी.आर. बिसेन अधिवक्ता।

गैरपुनरीक्षणकर्ता/राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी.।

सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त किए जाने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आदेश दिनांक 31.10.2017 का अध्ययन किया गया।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अवलोकन हेतु पेश दस्तावेजों में रविदास गायकवाड़ छपारा, बोदा, बिहार के नाम, पते से चोलामण्डल इश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी क्रमांक 3368/00995022/000/00 कस्टमर कोड नंबर 101262477918 कव्हर नोट क्रमांक 62886273 जो पैकेज पॉलिसी के रूप में दिनांक 20.09.2017 के 17:30 बजे से दिनांक 19.09.2018 के मध्य रात्रि तक के लिए जारी है जो त्रि-व्हीलर के लिए है जिसमें चेचिस नंबर एम.सी.जी. 27 पी. 3 डी.के.एच. 17777700 तथा इंजन नंबर ए. 7 जी. 11112805 अंकित है जिस रजिस्ट्रेशन रविदास के नाम से दिनांक 05 अक्टूबर 2017 को किए जाने की रसीद जमा है किंतु रजिस्ट्रेशन नंबर अभी प्राप्त न होना बताया गया।

बीमा दस्तावेज के आधार पर और पुलिस थाना बैहर के अपराध क्रमांक 155/2017 की केस डायरी में संलग्न जप्ती पत्र दिनांक 26.10.2017 के पृष्ठ भाग पर क्रमांक 2 पर उक्त इंजन नंबर/चेचिस नंबर डिलेवरी चालान के आधार पर लेख है। दुर्घटना के समय आवेदक रविदास वाहन को चला रहा था जिसका ड्रायविंग लाईसेंस नंबर एम.पी. 50 एन. 2014-00-47683 होकर जारी दिनांक 20.05.2014 है जो लाईट मोटर व्हीकल के लिए दिनांक 20.05.2014 से जारी होकर दिनांक 19.05.2034 तक वैधतायुक्त है।

जप्ती पत्र दिनांक 26.10.2017 समय 16:10 बजे में क्रमांक 1 पर आरोपी के द्वारा काले कलर का ऑटो बिना रजिस्ट्रेशन का पेश करने पर जप्त करना लेख है किंतु चेचिस नंबर, इंजन नंबर का उल्लेख नहीं है। डिलेवरी चालान और अवलोकन हेतु पेश उक्त बीमा पॉलिसी क्रमांक में लेख इंजन नंबर/चेचिस नंबर समान है इसलिए आवेदक वाहन का स्वामी होना प्रथमदृष्ट्या दर्शित होता है।

श्री डी.आर. बिसेन अधिवक्ता ने अपने तर्क के साथ सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात 2003 (11) एम.पी.वी.नो. 1 (सु.को.) पेश किया, का अध्ययन किया गया। उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता की याचिका अधोलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जाती है :-

1- पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की संतुष्टि योग्य 1,00,000/- (एक लाख) रूपए का सुपुर्दनामा इस शर्त के साथ पेश करे कि वह पुलिस थाना बैहर के अपराध क्रमांक 155/2017 में जप्तशुदा काले रंग का ऑटो सुपुर्दगी पर प्राप्त कर लेने पर 15 दिवस में वाहन का रजिस्ट्रेशन कराकर अभियोग पत्र पेश न होने की दशा में अन्वेषण अधिकारी के समक्ष, अन्वेषण पूर्ण होकर अभियोग पत्र पेश हो जाने पर विचारण न्यायालय के समक्ष वाहन के पंजीयन की छायाप्रति पेश करेगा, आवेदक प्रकरण के निराकरण तक उक्त वाहन का अंतरण, हस्तांतरण, विक्रय, विनिमय, दान या अन्य प्रकार से आधिपत्य हस्तांतरित नहीं करेगा, की शर्त का पालन करे तो सुपुर्दगी आदेश जारी हो।

आदेश की एक प्रति न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर की ओर सूचनार्थ पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश की एक प्रति थाना बैहर के अपराध क्रमांक 155/2017 की केस डायरी के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

अवलोकन हेतु पेश दस्तावेज वापस कर पावती ली जावे।

परिणाम दर्ज कर क्रमांक से निरस्त कर अभिलेख, अभिलेखागार जमा किया जावे।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि:- थाना प्रभारी बैहर की ओर अपराध क्रमांक 155/2017 की केस डायरी के साथ सूचनार्थ पालनार्थ भेजी जावे।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर